श्री मान् न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी,

देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष पेषा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवॉ, पो0 डगा बरगवॉ, थाना बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेष

———————————— परिवादी

बनाम

(1). **अजिम प्रेम मुख्य प्रबन्धक विप्रो कंम्पनी इंडिया लिमिटेंड** बिजनेषऑफिस प्लाट नं0 8, ब्लाक डी0 एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकत्ता 700091

(2). **सुरेष महतो** पिता नामालुम, मो0 नं009716218796 जिला धनवाद झारखण्ड (पूर्ण पता नामालुम)

(3). **आलोक कुमार सांडिल्या** पिता नामालुम, मो0 नं0 08961596670 निवासी जिला धनवाद झारखण्ड (पूर्ण पता नामालुम) एच0आर0 विपो कंम्पनी इंडिया लिमिटेड कलकत्ता प्लाट नं0 8, ब्लाक डी0 एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकत्ता 700091

(4). **मृदुल घोष** पिता नामालुम, पता रमाकान्त मिस्त्री, मेन ग्राउण्ड लोर मुर्चीपरा स्कोयर बिल्डींग कोलकत्ता

(5). **सौरभ आचार्या** पदस्थ विप्रो कंम्पनी इंडिया के कंम्पलेन अटेन्डर

———————————— आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा

204, [redacted], 311, 419, 420, 467, 468, 34 IPC

धटना स्थल बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेष

धटना दिनांक 15/02/2013से अबतक

मान्यवर

निम्नांकित अपराधों पर उपरोक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया जा रहा हैं :–

1. यह कि दिनांक 15 फरवरी 2013 को आरोपी क्रमांक 2 सुरेष महतो ने अपने मो0 नं0 09716218796 से मुझ परिवादी के मो0 नं0 पर फोन कर यह बताया था कि विपो कंम्पनी इंडिया लिमिटेड मे स्थाई नौकरी के लिए जगह निकली हैं। जिसमें बीस हजार रु0 की सुरक्षा निधि मांगी गयी हैं। तो उसे तुम जमा करा दो जिससे तुम्हारी नौकरी भी विप्रो कंम्पनी में लग जाये। उस समय मैं भी प्राइवेट कंम्पनी मे नौकरी करता था। तथा आरोपी क्रमांक 2 भी प्राइवेट कंम्पनी मे नौकरी करता था। हम लोग साथ मे थे। और जान पहचान होने के कारण आरोपी क्रमांक 2 द्वारा परिवादी के साथ कुट रचना की व अन्य आरोपीयों के साथ मिलकर करायी गयी हैं।
2. यह कि आरोपी क्रमांक 2 के कहने पर आरोपी क्रमांक 3 के एक्सिस बैंक एकांण्ट नं0 911010036113712 ब्रांच सिटी सेन्टर धनवाद के खाते में परिवादी द्वारा कार्ड ट्रॉन्सफर के माध्यम से (कार्ड नं0 4179170013338759 हैं) बीस हजार रु0 तीन ट्रॉन्सफर के माध्यम से दिनांक 19/02/2013 को 8500 रु0, 20/02/2013 को 1500 रु0 व 25/02/2013 को 10000 रु0 इस तरह परिवादी द्वारा आरोपी क्रमांक 2 के कहने पर आरोपी क्रमांक 3 के खाते मे 20000 रु0 की राषि ट्रॉन्सफर कर दी गयी। अतः आरोपी क्रमांक 2 व 3 आपस मे मिलकर उक्त घटना कारित कर रहे थे।
3. यह कि आरोपी क्रमांक 2 द्वारा पहले आरोपी क्रमांक 4 का आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक का एकांउण्ट नं0 082401500489 (कलकत्ता) मे परिवादी को पैंसा जमा करने के लिए बताया गया था। बाद मे पुनः आरोपी क्रमांक 2 ने

बताया कि उक्त सुरक्षा निधि अब तुम आरोपी क्रमांक 3 के एक्सिस बैंक एकांउण्ट नं0 911010036113712 ब्रान्च सिटी सेन्टर धनवाद के खाते में डाल दो। इसी बिच दिनांक 21 फरवरी 2013 को मृदुल घोष आरोपी क्रमांक 4 द्वारा परिवादी के मोबाइल पर फोन कर इन्टरब्यू लिया था। एवं दिनांक 24 फरवरी 2013 को मृदुल घोष आरोपी क्रमांक 4 द्वारा विपो कंम्पनी इंडिया लिमिटेड के ईमेंल–आईडी से परिवादी के ईमेंल–आईडी पर ऑफर लेटर भेज दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि विप्रोकंम्पनी इंडिया लिमिटेड का मुख्य प्रबन्धक भी जो की परिवाद में आरोपी क्रमांक 1 सामिल हैं। अन्यथा उसकी कंम्पनी की ईमेंल–आईडी का दुसरा ब्यक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अतः आरोपी क्रमांक 4 विप्रो कंम्पनी का कर्मचारी था। जिसके कार्य कलाप की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कंम्पनी प्रबन्धन की होती हैं। अतः आरोपी क्रमांक 4 का आरोपी क्रमांक 1 ने साथ दिया है।

4. यह कि आरोपी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा मेरी नियुक्ति की बहुत सारी प्रक्रिया दिखायी गयी थी। पर परिवादी की नियुक्ति नहीं हुई। जिससे परिवादी द्वारा आरोपी क्रमांक 1 के कंम्पनी के कम्पलेंन बेव साईड मे अपनी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को भेज कर जानकारी मांगी गयी। जिससे कम्पलेंन बेव साईड से एक एस0एम0एस0 परिवादी को प्राप्त हुआ। जिसमे फेसबुक की एक लिंक, जिसमे आरोपी क्रमांक 3 पकडा दिखाया गया। और मुझसे अपना मो0 नं0 मांगा गया परिवादी द्वारा अपना मो0 नं0 7771822877 दिया गया। उक्त फोन पर कम्पलेंन अटेंन्डर सौरभ आचार्या से बात हुई। जिनका मो0 नं0 09051923234 इनके द्वारा परिवादी को यह बताया गया कि आरोपी क्र0 3 व 4 दोनो पुलिस द्वारा पकड लिए गये हैं। तथा वे जेल में हैं। पुछे जाने पर आरोपी क्र0 5 ने यह नही बताया कि किस राज्य की पुलिस ने इन्हें पकडा हैं। तथा वें कहॉ के जेल में एवं आरोपी क्र0 5 ने कहा की मैं आरोपी क्र0 1 से बात करलू तब आपको पूरी जानकारी दूँगा। बाद मे उसने बताया की आरोपी क्र0 1 ने कोई भी जानकारी देने से मना किया हैं। अतः अपराधिक प्रकरण मे आरोपी क्र0 1 के साथ आरोपी क्र0 5 भी शामिल हैं। तथा आरोपी क्र0 5 ने कम्पलेंन बेव साईड मे एस0एम0एस के द्वारा दिए गये फेसबुक लिंक के द्वारा परिवादी को स्पष्ट बताया हैं, कि आरोपी क्र0 3 ने 200 से 500 बेरोजगार नौजवानों की विप्रो कंम्पनी में कार्य करते हुए। बेवकूफ बना कर पैसे धोखाधडी से लिये तथा आरोपी क्र0 5 ने यह

भी स्वीकार किया हैं। कि आरोपी क0 4 ने 6000 बेरोजगारों को बेवकूफ बनाकर विप्रो कंम्पनी में नौकरी करते हुए तथा कंम्पनी का इस्तेमाल कर करोडो का धोटाला किया हैं। तथा ये लोग सन् 2006 से लगातार धोखाधडी कर पैंसे वसूलने का कार्य करते रहे हैं। अतः स्पष्ट हैं, कि आरोपी क0 5 आरोपी क0 3 व 4 को अच्छे से जानता पहचानता हैं। जबकि आरोपी क0 3 व 4 कहीं पर बन्दी नही हैं। ऐसी दसा मे आरोपी क0 5 द्वारा 3 व 4 को बन्दी बताया गया। अतः उक्त धन के प्राप्ति हेतु आरोपी क0 5 द्वारा भी आरोपी क0 3 व 4 का सहयोग किया जाना स्पष्ट दिखाई देता हैं।

5. यह कि परिवादी द्वारा उक्त घटना की सूचना देने पुलिस थाना बरगवॉ मे जाया गया। जहॉ पर परिवादी की प्राथिमिकी ही नहीं दर्ज की गयी। बाद में परिवादी द्वारा लिखित कंम्पलेंन पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को दी गयी। जहॉ से आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। तथा परिवादी द्वारा दिनांक 02/07/2014 को माननीय साइबर क्राइम सेल मन्दिर मार्ग न्यु दिल्ली को सिकायती पत्र दिया गया था। जिसमें भी आरोपी गढ के विद्धध कोई कार्यवाही नही हुई। तथा परिवादी द्वारा दिल्ली कमिष्नर को ईमेंल के माध्यम से भी उक्त घटना की जानकारी दी गयी थी।जिसकी कॉपी परिवाद के साथ संलग्न है। जिस पर माननीय साइबर क्राइम सेल मन्दिर मार्ग न्यु दिल्ली के निर्देषन मे सी0एस0पी0 विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली द्वारा परिवादी का 26/03/2015 को बयान लिया गया था। किन्तु आज दिनांक तक आरोपी गढ को नही पकडा गया नही कोई कार्यवाही की गयी।
6. यह कि परिवादी द्वारा कहीं कार्यवाही न होने के कारण निराषा हो गयी। तब परिवादी द्वारा दिनांक 05/06/2015 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे रीट पीटीषन फाइल की गयी। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03/08/2015 को निचली अदालत से प्रोसेस के लिए निर्देषित किया गया हैं। जिस की छाया प्रति परिवाद के साथ संलग्न हैं।
7. यह कि आरोपी गढ द्वारा अपनी समस्त ईमेंल–आईडी, कंम्पनी के कंम्पलेंन साइड के द्वारा हुए बार्तालाव एवं फोन नं0 को मिटाया गया हैं। अतः साक्ष्य मिटाना पूर्णतः प्रमाणित हैं।
8. यह कि उक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हैं। तथा उचित मूल्य का टिकट चस्पा किया गया है।

10 यह कि परिवाद पत्र के साथ साइबर क्राइम सेल कंम्पलेंन्ड की छाया प्रति, पुलिस अधिक्षक को दिये गये। आवेदन की छायाप्रति, सी0एस0पी0 विन्ध्यनगर सिंगरौली द्वारा दिये गये। परिवादी बयान की छायाप्रति संलग्न हैं।

अस्तु आवेदन पत्र पेषकर विनम्र हैं कि प्रार्थी परिवादी के समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए परिवाद पत्र आरोपी गण के विरुद्व उचित संज्ञान लेते हुए पंजीबध्द करने की महान दया की जाये जो न्यायहित में होगा।

दिनांक २५/०१/१५ द्वारा अधिवक्ता

स्थान

बृजेश कुमार चतुर्वेदी

प्रार्थी / परिवादी

निरज गुप्ता

पिता मुन्नी लाल गुप्ता

नि0 / ग्रा0 बरगवॉ थाना

बरगवॉ जिला सिंगरौली

मध्य प्रदेश